संख्या-745/नौ-4-23-01डीएलबी/2019

प्रेषक,

अमृत अभिजात,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगर निकाय निदेशालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक : 05अप्रैल,2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में स्थानीय निकाय निदेशालय हेतु प्रावधानित बजट व्यवस्था को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-स्थानीय निकाय निदेशालय" की विभिन्न मानक मदों में प्रावधानित कुल धनराशि रू0649.35लाख (रूपये छः करोड़ उन्चास लाख पैंतीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त धनराशियों के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का ध्यान रखा जायेगा और जहां आवश्यक होगा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-स्थानीय निकाय निदेशालय के अन्तर्गत मानक मदों के नामे डाला जायेगाः-

क्र.सं.	मानक मद	धनराशि (लाख रूपये में)
1	01-वेतन	350.51
2	03-महँगाई भत्ता	157.73
3	04-यात्रा व्यय	3.30
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
5	06-अन्य भत्ते	1.00
6	07-मानदेय	0.11
7	08-कार्यालय व्यय	12.00
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.00
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
10	13-टेलीफोन पर व्यय	2.75
11	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	11.00
12	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15.00
13	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.20
14	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00
15	29-अनुरक्षण	2.10
16	42-अन्य व्यय	1.00
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.50
19	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20.00
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	49-चिकित्सा व्यय	8.00
22	51-वर्दी व्यय	0.15
23	55-मकान किराया भत्ता	25.00
24	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.00
	योग	649.35 (रूपये छः करोड़ उन्चास लाख पैंतीस हजार मात्र)

5. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव।

संख्या-745(1)/नौ-4-23-01डीएलबी/2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषगार, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/नगर विकास अनुभाग-5।
6. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।